संख्या : ‾ /जी0एस0(शिक्षा)/ A11-42(2)/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 14 मार्च, 2023**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 8962 दिनांक 20.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कृष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, भगवानपुर, हरिद्वार को बी0–एससी0 एवं एम0–एससी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2019–20 से 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–2020, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) की धारा–33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, ईमलीखेड़ा, भगवानपुर, हरिद्वार	1. बी0–एससी0 (एग्रीकल्चर) 2. बी0एससी0 (फॉरेस्ट्री) 3. बी0–एससी0 (फिशरीज) 4. एम0–एससी0 एग्री0(एग्रोनॉमी)	120 सीट (प्रति सत्र) 60 सीट (प्रति सत्र) 60 सीट (प्रति सत्र) 15 सीट (प्रति सत्र)	2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

(ii) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य 02 माह के भीतर आख्या सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(iii) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

क्रमशः/–

(iv) जिन पाठ्यक्रमों हेतु नियामक संस्था द्वारा मानक निर्धारित न किये गये हों, उन पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मानक निर्धारित किये जायेंगे एवं निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) संस्थान में मानकानुसार पुस्तकों की पूर्ति कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

(vi) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 4453 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/ A11-42(2)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, ईमलीखेड़ा, भगवानपुर, हरिद्वार।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।